न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़ (राज.)

पीठीसीन अधिकारी

अनुपमा जोरवाल I.A.S.
जिला कलक्टर, प्रतापगढ़

प्रकरण संख्या	GCMS.No.	दर्ज दिनांक	फैसल दिनांक
21/2020	2020/00048	23.11.2020	26.02.2021

राज्य सरकार जरिये प्रवर्तन अधिकारी रसद विभाग, प्रतापगढ़

:– प्रार्थी

–: बनाम :–

श्री सुरेश शर्मा पुत्र श्री जगदीश शर्मा, हीमाक्षी बेकरी, बस स्टेण्ड अरनोद जिला प्रतापगढ़

:– अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

उपस्थिति :–

1. पैरोकार सरकार रसद
2. एकतरफा

–: आदेश :– दिनांक 26.02.2021

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी पेरोकार सरकार रसद द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 A आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दिनांक 01.11.2020 को प्रवर्तन अधिकारी रामचन्द्र शेरावत प्रतापगढ़, मेडीकल टी के साथ हीमाक्षी बेकरी बस स्टेण्ड अरनोद पर पहुंचे वहां पर श्री सुरेश शर्मा पुत्र श्री जगदीश शर्मा द्वारा घरेलु सिलेण्डरों से मिठाईयां बनाई जा रही थी। व्यवसायिक उपयोग की रोकथाम हेतु हीमाक्षी बेकर, बस स्टेण्ड अरनोद 12.05 पर सुरेश शर्मा पुत्र जगदीश शर्मा उपस्थित मिले। मौके पर रूबरू मोतबिरान श्री धनसिंह राठौर विकास अधिकारी अरनोद श्री गोपाल कुमावत सहायक मेडीकल टीम की उपस्थिति में परिसर की जांच करने पर 5 सिलेण्डरों (14.2 कि.ग्रा.) जिससे अवैध रूप से गैस सिलेण्डरों का उपयोग कर मिठाईयां बनाई जा रही थी व व्यावसायिक उपयोग की पुष्टि होती है। मौके पर गैस सिलेण्डरों के अवैध भण्डारण एवं दुरूपयोग संबंधी आवश्यक विधिक दस्तावेज मांगने पर कोई विधिक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये।

इस प्रकार घरेलु गैस सिलेण्डरों के अवैध भण्डारण एवं दुरूपयोग किये जाने पर मौके पर मैसर्स राजेन्द्र कुकार कोठारी उच.पी. गैस सेन्टर अरनोद द्वारा ईलेक्ट्रोनिक कांटे से तोल करवाने पर निम्न स्थिति पायी गई :–

जिला कलक्टर
प्रतापगढ़ (राज.)

Scanned with CamScanner

क्र.सं.	कम्पनी	S.R.No	मानक भार किग्रा	कुल वजन किग्रा	टेयर वजन किग्रा	शुद्ध LPG किग्रा
1	HPC	425277	14.2	22.500	15.500	700
2	HPC	997589	14.2	15.700	15.700	Nil
3	HPC	441918	14.2	30.100	16.00	14.100
4	HPC	543520	14.2	15.700	15.700	NIL
5	HPC	845729	14.2	26.900	16.100	10.800
			Total			31.900

अतः श्रीमान से निवेदन है कि जब्तशुदा 05 सिलेण्डर को राजसात (confiscate) करने के आदेश प्रदान करावें। प्रकरण दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर अप्रार्थीगण को सूचना पत्र जारी किये गये जिनकी बाद तामील रिपोर्ट अप्रार्थी स्वयं उपस्थित हो जवाब एवं बहस हेतु अवसर चाहा गया न्यायहित में अवसर प्रदायगी उपरान्त अप्रार्थी द्वारा प्रकरण में नियत आगामी तारीख पेशी दिनांक 26.02.2021 को जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया नकल अप्रार्थी को उपलब्ध कराई गई तथा प्रकरण में बहस अन्तिम उभय पक्ष अन्तिम सूनी गई।

दौराने बहस प्रार्थी पेरोकार सरकार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित कथनों को दोहराते हुए मुख्य रूप से कथन किये कि कोई भी व्यक्ति अथवा संस्था/फर्म किसी प्रकार से घरेलु गैस सिलेण्डर्स का उपयोग उपभोग व्यवसायिक प्रयोनार्थ नहीं कर सकता है क्योंकि व्यवसायिक प्रयोजनार्थ उपयोग उपभोग हेतु पृथक से व्यवसायिक गैस सिलेण्डर उपलब्ध बाजार रहते है तथा प्रश्नगत प्रकरण में अप्रार्थी द्वारा घरेलु गैस सिलेण्डरों का उपयोग व्यावसायिक प्रयोजन में लाते हुए सरकार की गाईड लाईन अनुसार घर का रसोई घर ही उपयुक्त स्थान नियत है, का उल्लंघन किया है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार फरमाया जाकर अवैध रूप से संकलित 05 घरेलु गैस सिलेण्डर को राजसात करने अनुमती प्रदान कराया जाना उचित रहेगा।

इसी प्रकम में दौराने बहस प्रार्थी पैरोकार सरकार उपस्थित। अप्रार्थी अनुपस्थित। बहस उभय पक्ष पर मनन किया गया तथा पत्रावली का मेरिट पर गहनता पूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया गया। उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचन कि रोशनी में ज्ञात आया कि रसद विभाग के अधिकारी/कार्मिकों द्वारा दिनांक 01.11.2020 के दौरान वक्त मौका निरीक्षण एवं बाद जांच कार्यवाही तथा मौका पर्चा रिपोर्ट तथा निरीक्षण प्रतिवेदन एवं फर्द जब्ती 05 घरेलु गैस सिलेण्डर का व्यावसायिक प्रयोजनार्थ उपयोग–उपभोग में लाया जाना प्रतीत होता है तथा उक्त समस्त गैस सिलेण्डर तथा अन्य सामग्री के व्यवसायिक प्रतिष्ठान से अप्रार्थी की उपस्थिति में जब्ती अनुसार उक्त घरेलु गैस सिलेण्डर का दुरूपयोग होना दर्शित रिकार्ड पाया है इस संबंध में अप्रार्थी द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के प्रावधानों का उल्लंघन किया है। जिससे अप्रार्थी को कोई अनुतोष प्रदान किया जा सके। प्रकरण आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत समुचित कार्यवाही योग्य प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी पेरोकार सरकार रसद स्वीकार किया जाता है तथा जिला रसद अधिकारी, प्रतापगढ़ को आदेश दिया जाता है कि दिनांक 01.11.2020 को अप्रार्थी के यहाँ से फर्द जब्ती में वर्णित 05 घरेलु गैस सिलेण्डर को अन्तिम रूप से राजसात किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों।

निर्णय आज दिनांक 26.03.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनुपमा जोरवाल)
जिला कलक्टर
प्रतापगढ़

Scanned with CamScanner